न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)नवम्/जे०एम०,अयोध्या/ फैजाबाद

सरकार बनाम निखिल शर्मा आदि।

मु०अ०सं०–351/2022
धारा–323,506 भा०दं०सं०
थाना– तारून,
जनपद– अयोध्या/फैजाबाद।

दिनांक–02.08.2023

1. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कथन किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त **जिगर शर्मा** मु०अ०सं०–351/2022 अंतर्गत धारा– 323,506 – भा०दं०सं० थाना–तारून, जनपद अयोध्या/ फैजाबाद के प्रकरण में न्यायालय समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।

3. जमानत आवेदन को प्रस्तुत करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी को रंजिश फंसाया गया है । प्रार्थी पूरी तरह बेगुनाह है । जिस प्रकार पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है बच्चों के मध्य क्रिकेट खेलने के लिए आपस में कहा सुनी हुई थी किसी प्रकार की मारपीट व गाली गलौज नहीं हुई थी । वाद जमानत प्रार्थीगण के कहीं भागने का कोई अंदेशा नहीं है । उक्त अपराध जमानतीय प्रकृति का है । अतः उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा कथन किया गया है कि प्रकरण अजमान–तीय है । अतः जमानत का विरोध है।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त पर मार–पीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत देने व न्यायालय के शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **जिगर शर्मा** द्वारा मु०– 25,000/–(पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व सम धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

अपर सिविल जज(जू०डि०)नवम् /जे०एम०,
अयोध्या/ फैजाबाद।